तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8022/2006/अलवर राजेश कुमार बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री बसन्त विजयवर्गीय, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 07.09.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर पारित निर्णय दिनांक 26–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, अलवर के आदेश दिनांक 24–09–1981 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 18–01–1982 को स्वीकृत किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 3053 व 3054 नगर सुधार न्यास, अलवर के नाम दर्ज की गयी। इसके विरूद्ध रामकिशन द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–01–1987 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, अलवर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 27–07–1988 से नामान्तरकरण संख्या–481 को बहाल रखा। इस निर्णय के विरूद्ध रामकिशन वगैराह की ओर से अतिरिक्त कलक्टर, प्रथम अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8022/2006/अलवर राजेश कुमार बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6-7-2000 से खारिज कर दी। अतिरिक्त कलक्टर द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26-5-2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशन की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी, जिसे भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत कोई अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना तथा विवादित आराजी के खातेदार को मुआवजा राशि दिये बिना तहसीलदार, अलवर के आदेश से विवादित आराजी अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 481 से दर्ज कर दी, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि यदि भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही हुई है तब भी विवादित आराजी को नगर सुधार न्यास के नाम किये जाने के पूर्व विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार को सुना जाना आवश्यक था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये जाने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8022/2006/अलवर राजेश कुमार बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना की। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय एवं नामान्तरकरण संख्या 481 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 52 के अन्तर्गत अधिसूचख्ना जारी की जाकर विवादित भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा उक्त अधिनियम की धारा 52 में यह प्रावधान है कि अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से भूमि राज्य सरकार में निहित हो जावेगी। ऐसी स्थिति में भूमि पर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार हो गये थे। उनका कथन है कि भूमि अवाप्ति की उक्त कार्यवाही को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत या उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौदी दी जा सकती थी। उनका कथन है कि नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही में भूमि अवाप्ति एवं मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी बिन्दूओं को नहीं उठाया जा सकता है। उक्त बिन्दूओं का निर्धारण भूमि आवप्ति हेतु प्रावधित प्रावधानों के अन्तर्गत ही होगा। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8022/2006/अलवर राजेश कुमार बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज रामकिशन की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे भूमि अवाप्ति कार्यवाही उपरान्त नगर सुधार न्यास, अलवर के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित किया गया, जिसके क्रम में नामान्तरकरण संख्या 481 दिनांक 18-01-1982 स्वीकृत किया जाकर विवादित आराजी नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी की अवाप्ति बाबत् दिनांक 15-11-1976 की अधिसूचना जारी की गयी। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही विवादित आराजी राज्य सरकार में विहीत हो गयी थी। इसके साथ ही प्रार्थीगण के पूर्वज के विवादित आराजी में निहित समस्त खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही के माध्यम से चुनौती दी गयी है, जो विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होती है क्योंकि नामान्तरकरण सम्बन्धी समरी कार्यवाही के माध्यम से भूमि अवाप्ति एवं मुआवजे सम्बन्धी बिन्दूओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8022/2006/अलवर राजेश कुमार बनाम नगर सुधार न्यास	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य**	